फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर बनाम हनुमान गुर्जर

केस संख्या 81/2020

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/5/25	[illegible] कार्य में व्यस्त [illegible] अगली पेशी तारीख दिनांक 27/5/25 को पेश हो।
	27/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अभियुक्त उपस्थित। वास्ते बहस नि.3 हेतु पत्रावली दिनांक 03/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	3/6/25	पश्चात्वर्ती पेश हुई। वकील अभियुक्त उपस्थित। वादी का मुकदमा पश्चात्वर्ती दिनांक 3/6/25 को खारिज किया जा चुका है। अतः वादी का वाद निस्तारण होने पर इस पश्चात्वर्ती में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अन्वयी निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पश्चात्वर्ती नम्बर से कम होकर बाद वकीलों दोनों पक्षकारों सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)